जैविक प्रमाणीकरण

कृषकों/वनोपज संग्राहकों के लिये हितकर और उपभोक्ताओं के लिये स्वास्थ्यप्रद

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत
CGCERT
Chhattisgarh Certification Society, India

जैविक प्रमाणीकरण हेतु सम्पर्क करें

**छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत,
वानिकी एवं कृषि, रायपुर (सीजीसर्ट)**

India Organic

एस.एफ.आर.टी.आई. परिसर,
विधानसभा के पास, बलौदा बाजार रोड
जिरो पॉइंट, रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.)– 493111

हमारा परिचय

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत, वानिकी एवं कृषि, रायपुर जैविक प्रमाणीकरण के लिये राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार जैविक प्रमाणीकरण करने के लिये प्रत्यायित है । सीजीसर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन–65 के गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र के अनुरूप कार्य करती है । सीजीसर्ट संपूर्ण भारत वर्ष में विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों के लिये उचित शुल्क पर प्रमाणीकरण की सेवा प्रदान करती है

हमारी कल्पना

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम पर आधारित पारिस्थीकीय, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से संतुलित एवं सशक्त जैविक उत्पादन तंत्र का विकास करना

हमारा उद्देश्य

सुरक्षित एवं सतत् कृषि उत्पादन तथा वन्य उत्पाद संग्रहण के उचित शुल्क पर विश्वसनीय निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण सेवायें प्रदान करके प्रमाणीकृत उत्पादों के विक्रय से उत्पादक को अधिक मूल्य दिलाना है ।

सीजीसर्ट की सेवायें

कृषि उत्पादन का प्रमाणीकरण

सीजीसर्ट किसानों की भूमि के अभिलेखों का परीक्षण कर तथा विभिन्न फसलों की कृषि पद्धति का स्थल निरीक्षण कर जैविक उत्पादन को प्रमाणित करती है

उत्पादन समूह का प्रमाणीकरण

सीजीसर्ट ऐसे उत्पादक समूहों का भी जैविक प्रमाणीकरण करती है जो कि भौगोलिक समीपता में समान कृषि पद्धति अपनाते हैं, ताकि छोटे कृषकों हेतु जैविक प्रमाणीकरण को कम खर्चीला तथा सरल बनाया जा

वन्य उत्पाद संग्रहण

सीजीसर्ट वनों से संग्रहित की जाने वाली अकाष्ठीय वनोपजों, जिसमें औषधीय पौधे तथा शहद सम्मिलित है, का प्रमाणीकरण करती है ।

इनपुट अनुमोदन

सीजीसर्ट विर्निमाताओं द्वारा निर्माण किये जाने वाले आवश्यक इनपुट, जैसे – वर्मीकम्पोस्ट, जैव उर्वरक, जैविक कीट नाशक, तथा मृदा संधारकों आदि का जैविक उत्पादन के उपयोग हेतु अनुमोदन देती है ।

ऑपरेटर द्वारा आवश्यकतानुसार घरेलू विक्रय तथा विदेशों में निर्यात दोनों के लिये जैविक प्रमाणीकरण पृथक–पृथक प्राप्त किया जाना चाहिये ।

सीजीसर्ट द्वारा जैविक प्रमाणीकरण के लाभ

★ प्रमाणीकरण तीसरे पक्ष द्वारा यह पुष्टि करता है कि उत्पादन, Handling राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानक के अनुरूप है ।

★ जैविक सील/मुहर प्रमाणीकृत उत्पाद के प्रति स्वास्थ्य जागरूक उपभोक्ताओं में विश्वसनीयता प्रदान करता है तथा अजैविक उत्पाद से अंतर को स्पष्ट करता है ।

★ प्रमाणीकरण घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, आयातकों तथा निर्यातकों के हितों की रक्षा करता है ।

★ निर्यात को सुलभ बनाना : राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यूरोपियन यूनियन तथा स्वीट्जरलैंड में मान्य तथा उन देशों के मानकों के समकक्ष है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस कार्यक्रम के अनुरूप मूल्यांकन विधि को मान्यता देता है ।

★ कृषक एवं लघुवनोपज संग्राहकों को प्रमाणित उत्पाद का अपेक्षाकृत अधिक विक्रय मूल्य प्राप्त होता है ।

सीजीसर्ट से प्रमाणीकरण क्यों ?

★ सीजीसर्ट भारत शासन के वाणिज्य मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायित (Accredit) की गयी है।

★ सीजीसर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO-65 के गुणवत्ता प्रबंधन के अनुसार कार्य करती है ।

★ विश्वसनीय, सरल एवं सामर्थ्य अनुरूप प्रमाणीकरण प्रदाय करता है ।

★ कोई अप्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित नहीं है ।

★ सक्षम एवं दक्ष कर्मी (Professionally) कार्यरत है ।

प्रमाणीकरण के चरण

ऑपरेटर द्वारा जैविक प्रमाणीकरण हेतु औपचारिक आवेदन करना

↓

भरे हुये आवेदन को सीजीसर्ट कार्यालय में जमा करना

↓

सीजीसर्ट द्वारा आवेदन का परीक्षण तथा पंजीयन

↓

सीजीसर्ट के साथ ऑपरेटर का अनुबंध तथा प्रमाणीकरण शुल्क का भुगतान

↓

एन.पी.ओ.पी. मानक के अनुसार सीजीसर्ट द्वारा मूल्यांकन तथा निरीक्षण

↓

सीजीसर्ट द्वारा प्रमाणीकरण का निर्णय

प्रमाणीकरण एवं शुल्क की जानकारी हमारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है

Contact

- Website : www.cgcert.com
- E-mail : cgcert@gmail.com, contact@cgcert.com
- Ph. & Fax: 0771-2283249